न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–10/2018/टोंक (2018/00010)

रामविलास दत्तक पुत्र रोडू (मृतक) जरिये वारिसानः–

1. नाथीदेवी पत्नि रामविलास,
2. जसवन्त पुत्र रामविलास,
3. नन्दकिशोर पुत्र रामविलास,
4. बरजी पुत्री रामविलास,
5. सीमा पुत्री रामविलास,
6. प्रियंका पुत्री रामविलास,

समस्त जाति जाट, निवासी सिरोही, तह0 निवाई, जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. नर्बदा पुत्री रोडू,
2. गोली पुत्री रोडू,
3. गलोल पुत्री रोडू,

समस्त जाति जाट, निवासी सिरोही, तह0 निवाई, जिला टोंक ।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक दिनांक 27.12.2012 .

उपस्थितः–

1. श्री वी0पी0सिंह, वकील अपीलांट्स ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 14.6.2018

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2012 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिरोही स्थित वादग्रस्त भूमि की खातेदार स्व0 गलकू बेवा रोडू थी । अपीलांट खातेदार स्व0 गलकू का दत्तक पुत्र है, गलकू की मृत्यु होने पर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने तहसीलदार, निवाई के समक्ष गलकू की विरासत का नामांतकरण अपने नाम दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं साथ ही एक प्रार्थना पत्र अपीलांट ने प्रस्तुत कर अपने आपको स्व0 रोडू व गलकू का दत्तक पुत्र होना बताते हुए वादग्रस्त भूमि का नामांतकरण तस्दीक करने का निवेदन किया । अपीलांट ने यह भी कथन किया कि विवादित आराजियात बाबत् विभिन्न न्यायालयों में राजस्व वाद व अपीलें विचारधीन है । ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का नामांतकरण किसी के भी पक्ष में तस्दीक नहीं किया जावे । तहसीलदार, निवाई ने अपने आदेश दिनांक 27.12.2012 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए संपूर्ण वादग्रस्त भूमि का नामांतकरण तन्हा रूप से रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम तस्दीक करने का आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि तहसीलदार, निवाई ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर गौर नहीं किया कि अपीलांट स्व0 रोडू व गलकू का दत्तक पुत्र है जिसे स्वंय गलकू ने रोडू की मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत के समक्ष अपने बयानों में स्वीकार किया है एवं इस आधार पर रोडू की मृत्यु होने पर 1/2 हिस्से का नामांतकरण अपीलांट्स के पिता रामविलास के पक्ष में नामांतकरण संख्या 388 तस्दीक किया गया था जो आज दिनांक बहाल है इसके बावजूद तहसीलदार, निवाई ने अपीलांट को स्व0 रोडू का दत्तक पुत्र नहीं होना मानकर गलकू की मृत्यु होने पर उसकी आराजियात बाबत रेस्पो0 के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि नामांतकरण संख्या 388 के विरूद्ध नर्बदा द्वारा प्रस्तुत अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक के द्वारा स्वीकार करने पर उसके

विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जो दिनांक 26.8.1989 को स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीकशुदा नामांतकरण संख्या 388 को बहाल किया गया था जिसके विरूद्ध रेस्पो0 ने कोई अपील सक्षम न्याायलय में प्रस्तुत नहीं की जिससे नामांतकरण संख्या 388 आज भी प्रभावी है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित आराजियात बाबत् विभिन्न न्यायालयों में विवाद विचाराधीन होने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण के विचाराधीन रहते नामांतकरण की कार्यवाही स्थगित करने का निवेदन किया था किन्तु अधी0न्याया0 तहसीलदार ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर मृतक गलकू की विरासत का नामांतकरण रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम खोले जाने के आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 27.12.2012 को अपास्त किया जावे । xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार रोडू की मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात का नामांतकरण संख्या 388 अपीलांट एवं गलकू बेवा रोडू के नाम तस्दीक किया गया था । उक्त नामांतकरण संख्या 388 के विरूद्ध गलकू बेवा रोडू द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा गलकू की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 388 को अपास्त किया गया है । तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, टोंक के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय हाजा ने निर्णय दिनांक 26.8.1989 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, टोंक के निर्णय दिनांक 18.9.1985 को अपास्त करने के आदेश पारित किये है । वर्तमान में मृतक गलकू की आराजियात को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 मृतक गलकू की पुत्रियां होकर विधिक वारिसान है । अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 के समक्ष मृतक रोडू एवं गलकू का दत्तक पुत्र होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में मृतक गलकू के तीन पुत्रियां होना अंकित किया है । प्रकरण जहां तक विवादित आराजियात बाबत् अन्य न्यायालयों में राजस्व वाद जैरकार होने का प्रश्न है, विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट्स ने किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अधी0न्याया0 व न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही को स्थगित किया जा सके। तहसीलदार, निवांई ने मृतक गलकू की विरासत का नामांतकरण किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3, जो कि मृतक गलकू की पुत्रियां है, के नाम खोले जाने के आदेश पारित किये है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स

अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 27.12.2012 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 10/2018 (2018/00010) बउनवानी रामनिवास बनाम नर्बदा को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, निवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2012 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 14.6.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर